

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केंद्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 24.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Kunwar Danish Ali के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 449 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	BUSHRA	SH. SHAKEEL AHMED MOB- 9760325169	5	MORADABAD
2	DHRUV	SH. PRAMOD KUMAR MOB- 9958690701	1	BABUGARH CANTT. HAPUR
3	PALAK YADAV	SH. MAHENDRA KUMAR MOB- 8218055154, 9259081857	7	MORADABAD
4	DAWOOD ALI	SH. NAME ALI MOB- 9997528273	8	MORADABAD
5	INAYA	SH. AMJAD HUSAIN MOB- 7533924444, 9917143786	1	MORADABAD
6	KANISHKA NAGAR	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE NEARBY CONSTITUENCY OF HON'BLE MP		
7	MOHD IBRAHIM KHAN	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE NEARBY CONSTITUENCY OF HON'BLE MP		
8	POSHAK BHARDWAJ	SH. KSHEMENDRA BHARDWAJ MOB- 9837024610	3	MORADABAD
9	SAKSHI	SH. SANDEEP KUMAR MOB- 9690301053	9	BABUGARH CANTT. HAPUR
10	JATIN SIDDHARTH	SH. AVANAL KUMAR MOB- 6395121030	9	BABUGARH CANTT. HAPUR

प्रशा. क. उ.

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Kunwar Danish Ali माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, AGRA संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

